पर्चा डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) एवं सहायक कलक्टर टिब्बी, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :—श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

व0नं0:—420/2021

1. अजीतपाल पुत्र चुहरसिंह जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी साबुआना तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

वादी

बनाम्

1. चुहड़सिंह पुत्र जवाहरसिंह
2. तेजकौर पत्नी चुहड़सिह

जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासीयान साबुआना तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

3 वीरावन्ती पुत्री चुहडसंह पत्नी तरसेमसिंह जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी तख्तहजारा तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर ।

4. राजवीर कौर पुत्री चुहड़सिंह पत्नी करणीसिंह जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी9 एस.डी. एस चक सोहनेवाला तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर ।

5. रिकूरानी पुत्री चुहड़सिह पत्नी हरपालसिह जाति कुम्हार निवासी हाकुलवाला तहसील लम्बी पंजाब।

6 परमजीत कौर पत्नी चूहड जाति कुम्हार निवासी साबुआना तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

प्रतिवादीगण

<u>डिक्री</u> दिनांक 24/7/25

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष वकील वादी श्री हितेन्द्र मोहन व प्रतिवादी वकील सुखवीर सिंह अंतिम निपटारे/निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है चक नं० 1 एस.बी.एन के जमाबन्दी संवत 2075 ता 78 के खाता सं0 44/45 में कुल 5.705 है0 नहरी, अ०क० मय गै०मु० आराजी में से प्रतिवादी सं0 1 चुहड़सिंह के 1/3 हिस्सा की भूमि का वादी खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर चकनं० 1 एस.बी.एन के खाता सं0 44/45 मे से प्रतिवादीसं० 1 चुहड़सिह का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार राजस्व टिब्बी को निर्देशित किया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद एंव जमाबंदी मे गै0मु0 रकबे को यथावत रखते हुए यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नही हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 24/7/25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर टिब्बी।